

न्यायालय सहायक कलेक्टर(द्वितीय),सीकर

उनवान मदन लाल बनाम रघुनाथ राय

किस्म मुकदमा...दावा.....मुकदमा नं.....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
24-3-17	<p>पत्रावली पेश हुई । वादी अधिवक्ता उपस्थित । रिपोर्ट राजस्व लिपिक प्राप्त की गई । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक...24.3.17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर</p>	<p>मदन लाल</p>
24-4-A	<p>पत्रावली पेश हुई / वादी / उपायकर्ता / प्रतिवादी / हाजिर पीठाधीनता / जय कार्य / मैं वास्तव में वास्तव है। पत्रावली दिनांक...5-6-17 को पेश हो।</p>	<p>रघुनाथ राय</p>
26-5-A	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत को पेश की गई। वादी गण ने पत्रावली आगे नहीं चलाने हेतु विवेक किया है। मदन लाल उनके वकील ने की अह; दावा नोटिस में रकबाज किया जाता है। पत्रावली पेशात शुभारंभ होकर नम्बर से काट दी जानेवाले वकील दाखिल करवाए।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर</p>	<p>मदन लाल</p>